

अन्तिम डिक्री
डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(अ. आ. 20 नियम 6-7 व्य.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 529/2024

1. हरपाल सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)

2. छोद्द सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)

3. वाकर सिंह पुत्र श्री खेता सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)

-वादीगण

बनाम्

1. बहूदेव सिंह पुत्र श्री राम सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)

2. चंदूराम पुत्र श्री अर्जुन राम जाति चमार निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)

3. पूर्ण सिंह पुत्र श्री भाग सिंह जाति मेघवंशी निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)

4. मलकीयत सिंह पुत्र श्री मुकन्द सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)

5. तहसीलदार राजस्व संगरिया तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से

:- श्री गुरमीत सिंह कलसी, एडवोकेट

प्रतिवादी सं. 1 की ओर से

:- श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल, एडवोकेट

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील वादीगण तथा श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल वकील प्रतिवादी सं. 01 पेश होने पर तहसीलदार(राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया के पत्रांक प्रा. डिक्री/भू.अ. /2025/4591/ दिनांक 26.11.2025 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव चक 2 एन.टी. डब्ल्यू. ए के खाता सं. 16/13 कुल रकबा 1.468 हेक्. (विवादित श्रेणी का खाता) व चक 1 आर.टी.पी. के खाता सं. 15/15 कुल रकबा 1.265 है. (विवादित श्रेणी का खाता) का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा सहमति देने पर वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादीगण का खाता मुताबिक विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार अलग कायम किया जावे:-

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

चक 2 एन.टी.डब्ल्यू. ए के खाता सं. 16/13:-

शंकर सिंह पुत्र खेता सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया में प.न. 189/162 मु.न. 23 का कि.न. 16/1/0.228., 16/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 17/1/0.127 हेक्., कुल- 0.380 हेक्.

मलकीयत सिंह पुत्र मुकुन्द सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया में प.न. 189/162 मु.न. 23 का कि.न. 24/2/0.127, 25/1/0.228, 25/2/0.025 गै.मु. खाला. प.न. 189/163 मु.न. 26 का कि.न. 4/1/0.228, 4/2/0.025 गै.मु. खाला कुल -0.633 हेक्.

हरपाल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया प.न. 189/162 मु.न. 23 का कि.न. 6/2/0.177, 6/3/0.025 गै.मु. रास्ता, 15/1/0.025 मिन कुल-0.227 हेक्.

छोटू सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति रागदासिया निवासी संगरिया प.न. 189/162 मु.न. 23 का कि.न. 15/1/0.203 मिन, 15/2/0.025 गै.मु. रास्ता कुल- 0.228 हेक्.

चक 1 आरटीपी के खाता सं. 15/15 खाते का योग 1.265 हेक्. (विवादित श्रेणी का खाता)

1. हरपाल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया का प.न. 187/170 मु.न. 53 का कि.नं. 18/0.126 मिन, 23/0.127 मिन, 24/0.095 मिन, प. न. 187/171 मु.न. 61 का कि.न. 4/1/0.051 कुल- 0.399 हेक्.
2. छोटू सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति रामदासिया का प.न. 187/170 मु.न. 53 का कि.न. 18/0.127 मिन, 23/0.127 मिन, 24/0.095 मिन, प.न. 187/171 मु.न. 61 का कि.न 4/1/0.051 कुल - 0.399 हेक्.
3. बलदेव सिंह पुत्र राम सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया का प.नं. 187/170 मु.नं. 53 का कि.न. 24/0.063 मिन. प.न. 187/171 मु.न. 61 का कि.नं. 4/1/0.101, 4/2/0.025 गै.गु. खाला कुल-0.189 हेक्.
4. चन्दूराम पुत्र अर्जनराम जाति रामदासिया निवासी संगरिया का प.नं. 187/171 मु. नं. 61 का कि.नं. 3/1/0.228, 3/2/0.025 गै.मु खाला, 4/1/0.025 मिन कुल 0.278 हेक्.

अतः उक्त निर्णय बाबत् यदि किसी न्यायलय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के अधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा. डिक्री/ भू.अ./2025/4591 दिनांक 26.11.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री का अवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। यदि हक व हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

मुख्य कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

निज निल मुब्लिक निल बाबत्
निल खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की
तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना
वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 26.12.2021
किया जाता है।

(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी (राफ्तव)
संगरिया

